

कम्प्यूटर परिपत्र संख्या- 1415115 दिनांक 19-01-2015

पत्रसं०-ज्वा०कमि०(वि०अनु०शा०)मु०-20/स०प०/धान करापवंचन/14-15/

2593

/वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, 30प्र०

(वि०अनु०शा०-अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक ०९ जनवरी, 2015

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर

एडीशनल कमिश्नर-ग्रेड-2(वि०अनु०शा०) वाणिज्य कर

उत्तर प्रदेश।

मुख्यालय से निर्गत परिपत्र संख्या-1466 दिनांक 13-11-2013 एवं परिपत्र संख्या-1526 दिनांक 3-12-2013 का संदर्भ लें जिसके द्वारा धान के सम्बन्धों की प्रभावी जाँच हेतु निर्देश निर्गत करते हुये यह अपेक्षा की गयी थी कि मध्यप्रदेश बिहार तथा दिल्ली राज्यों को गन्तव्य दर्शाते हुये जो धान का परिवहन घोषित किया जा रहा है उसकी गहराई से जाच की जाय।

उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देश दिये गये थे कि धान पर हो रहे करापवंचन की रोकथाम हेतु परिवहित किये जा रहे धान के वाहनों की अधिक से अधिक जाँच कराते हुये बिलों का संग्रहण किया जाय तथा उसकी तत्काल आनलाइन फीडिंग की जाय। करनिर्धारण अधिकारियों से ऐसे बिलों का तत्काल सत्यापन कराते हुये अनियमितता पाये जाने पर अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित कराये। मण्डी समिति से भी सूचना संकलित करते हुये तथा मण्डियों की जाँच करते हुये एवं रेलवे से भेजे जाने वाले माल की भी सूचना संकलित करते हुये अनियमितता पाये जाने पर प्रभावी कार्यवाही कराई जाय। प्रवर्तन इकाईयों को इस संबंध में दक्षता से कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाय।

इस प्रकार के तथ्य प्रकाश में आये है कि मुख्यालय द्वारा धान के संबंध में पूर्व में निर्गत निर्देशों का समुचित अनुपालन नहीं किया जा रहा है न तो निर्देशानुसार सूचनाएं प्रेषित की जा रही हैं और न ही उनके अनुरूप जाँच कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्त संबंध में यह निर्देश दिये जाते हैं कि धान के मूवमेण्ट की उक्त परिप्रेक्ष्य में गहनता से जाँच कराया जाना सुनिश्चित करते हुये कृत कार्यवाही की सूचना से मुख्यालय को भी अवगत कराये। वि०अनु०शा० एवं सचलदल अधिकारियों द्वारा किये गये कार्यों की मासिक सूचना प्रत्येक माह की 05 तारीख तक मुख्यालय के वि०अनु०शा० एवं सचल दल अनुभाग को प्रथक-प्रथक रूप से निर्धारित प्रारूप में भेजना सुनिश्चित करें।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक :: निर्धारित प्रारूप

(बी०राम शास्त्री)

एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश।

